अध्याय-2
प्रतिष्ठानों और सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण

अध्याय 2

प्रतिष्ठानों और सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण

- भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 7 के अनुसार सन्निर्माण गतिविधियों में लगे प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है, जो सन्निर्माण गतिविधियों में दस या उससे अधिक कर्मकारों को रोज़गार देता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जो प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं है, वह भवन सन्निर्माण कर्मकारों को रोज़गार नहीं देगा।
- सन्निर्माण गतिविधियों में लगे ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण, यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है कि इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (बीओसीडब्ल्यू) पंजीकृत हों और उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने से संबंधित बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास दिल्ली में बीओसीडब्ल्यू की संख्या से संबंधित कोई विश्वसनीय डेटा नहीं था।
- लेखापरीक्षा में पाया गया कि दक्षिण और उत्तर पश्चिम के चयनित जिलों में से अप्रैल 2019 और मार्च 2023 के बीच उपकर जमा करने वाले 97 निजी प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं थे। इसी प्रकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सन्निर्माण में लगे 25 प्रतिष्ठान भी पंजीकृत नहीं पाए गए। यह स्पष्ट रूप से बोर्ड की ओर से पात्र प्रतिष्ठानों की पहचान करने और उन्हें पंजीकृत करने के लिए सूचना के विभिन्न स्रोतों का उपयोग करने में ढिलाई को दर्शाता है।
- बोर्ड अपने साथ पंजीकृत बताए गए 6.96 लाख बीओसी कर्मकारों में से केवल 1.98 लाख का ही पूरा डेटाबेस उपलब्ध करा सका। 1.98 लाख

लाभार्थियों में से, जिनके लिए लेखापरीक्षा को चित्र उपलब्ध कराए गए थे, 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख चित्रों के साथ जोड़ा गया था, यानी प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक चित्र।

- डुप्लिकेट चित्र, बिना चेहरे वाले चित्र और एक ही चेहरे के कई पंजीकरणों की उपलब्धता पंजीकरण प्रक्रिया में कई कमियों को दर्शाती है। चूंकि एक मज़बूत कंप्यूटर ऐल्गोरिदम को प्रत्येक चित्र में बिल्कुल एक चेहरे की आवश्यकता होगी, इसलिए यह पंजीकरण के दौरान ऐसे चित्रों का पता लगाने में आईटी प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।
- बीओसीडब्ल्यू के पंजीकरण के नवीकरण के मामले में, दिल्ली अखिल भारतीय प्रदर्शन से काफी पीछे है, जहां मात्र 7.3 *प्रतिशत* पंजीकरण का नवीकरण किया गया, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह 74 *प्रतिशत* है।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए उस तिथि से साठ दिनों के अंदर, जिस दिन अधिनियम उस प्रतिष्ठान पर लागू होता है, आवेदन करना होता है, जो सन्निर्माण गतिविधियों में दस या अधिक कर्मकारों को रोज़गार देता है। अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, जो प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं है, उसे प्रतिष्ठान में भवन सन्निर्माण कर्मकारों को नियोजित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक जिले में श्रम विभाग के सहायक श्रम आयुक्तों को प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि के दौरान सन्निर्माण गतिविधियों में लगे कुल 769 प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग के साथ पंजीकृत किया गया, जैसा कि **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: पंजीकृत प्रतिष्ठानों और बीओसीडब्ल्यू की संख्या

वर्ष	पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	पंजीकृत/पंजीकरण नवीकृत बीओसीडब्ल्यू की संख्या
2019-20	194	51,398
2020-21	165	2,29,022
2021-22	172	11,03,552
2022-23	238	1,96,590

चार्ट 2.1: पंजीकृत प्रतिष्ठानों और बीओसीडब्ल्यू की संख्या

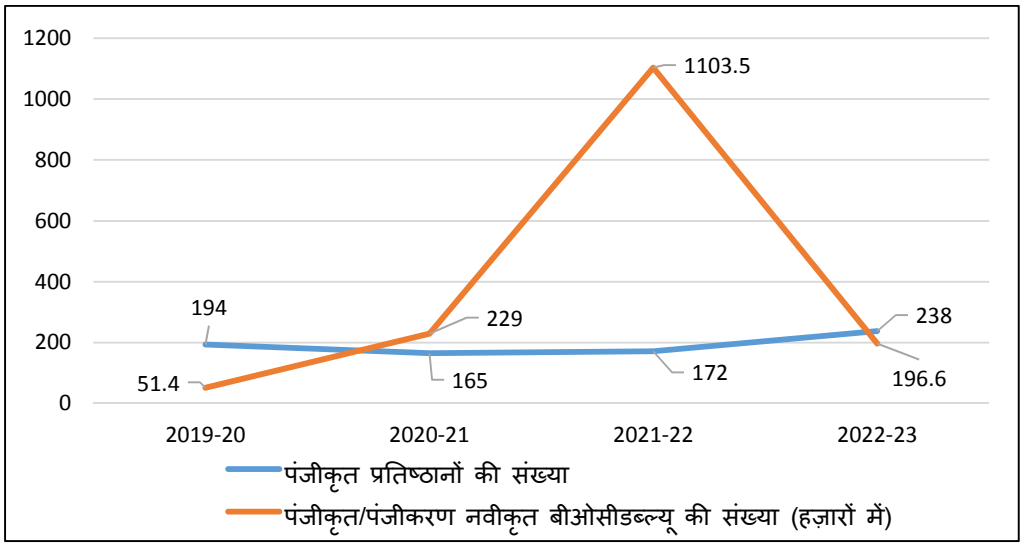

स्रोत: श्रम विभाग एवं बोर्ड द्वारा दी गई सूचना

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2019-20 में, केवल 0.51 लाख बीओसी कर्मकार पंजीकृत थे। पंजीकृत बीओसी कर्मकारों की संख्या 2021-22 में 382 *प्रतिशत* की तीव्र वृद्धि के साथ 11.03 लाख हो गई। इसके बाद के वर्ष 2022-23 में इसमें 82 *प्रतिशत* की गिरावट आई और केवल 1.97 लाख बीओसी कर्मकार पंजीकृत हुए। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए बीओसी कर्मकारों के पंजीकरण/नवीकरण के उपर्युक्त आंकड़े, आंकड़ों में अत्यधिक घट-बढ़ के कारण वास्तविक/विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते।

बोर्ड ने अपने उत्तर में कहा कि अधिनियम अपने आप से पंजीकरण की अनुमति नहीं देता है और इसलिए पंजीकरण के लिए पात्र और इच्छुक कर्मकारों द्वारा आवेदन करना आवश्यक है। उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि बीओसीडब्ल्यू के बीच जागरूकता उत्पन्न करना भी बोर्ड की जिम्मेदारी थी और जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविर आयोजित करने के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों (नवंबर 2018) के बावजूद, 2019-20 से 2022-23 तक चार वर्षों में केवल दो बार[1] शिविर आयोजित किए गए।

प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में पाई गई कमियों पर आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

[1] 24.8.2020 से 11.9.2020 तक 70 स्थानों पर और 15.2.2021 से 15.3.2021 तक 45 स्थानों पर।

2.1 प्रतिष्ठानों की पहचान में कमियां

सन्निर्माण गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण यह सुनिश्चित करने का पहला कदम है कि इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकार पंजीकृत हों और बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। इस प्रकार, अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी प्रतिष्ठानों का एक विश्वसनीय डाटा बेस और इसे नियमित रूप से अद्यतित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र, बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है।

(i) सन्निर्माण गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों की वास्तविक संख्या से संबंधित डेटा की अनुपस्थिति का मुद्दा 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पिछले प्रतिवेदन (2021 का प्रतिवेदन संख्या 1) के पैरा 3.2.9.1 में उल्लिखित किया गया था। तथापि, विभाग के पास उपलब्ध डेटा अपूर्ण है और यह पंजीकरण के आवेदन के लिए मुख्य रूप से प्रतिष्ठानों के मालिकों पर निर्भर करता है। विभाग ने एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में कहा (सितंबर 2023) कि उसके पास अपेक्षित जानकारी नहीं है।

(ii) यह देखा गया कि उपकर संग्रहकर्ता, सचिव (श्रम) द्वारा उपकर जमा करने वालों के संबंध में निर्देशित जिला मास्टर रजिस्टर (डीएमआर) का ठीक से रखरखाव नहीं कर रहे थे, जिसमें नियोजक का नाम और पता, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भवन नक्शे की मंज़ूरी की संख्या और तिथि, सन्निर्माण स्थल का पता आदि जानकारी भरी जानी थी। उत्तर पश्चिम जिले ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि प्रोफार्मा के अनुसार डीएमआर का ठीक से रखरखाव किया जा रहा है परंतु लेखापरीक्षा जांच से इसके विपरीत पता चला।

अपने उत्तर में सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बोर्ड ने उपकर जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है और इसलिए भौतिक अभिलेख रखने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि डीएमआर न केवल जमा किए गए उपकर के बारे में जानकारी प्रदान करता है बल्कि यह भी अभिनिश्चित करने में सुविधा प्रदान करता है कि वर्ष के दौरान कितने निर्धारण किए गए और उनके प्रति कितने

उपकर जमा किए गए। इसके अतिरिक्त, उपकर ऑनलाइन जमा करने का प्रावधान 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया गया था।

(iii) ऐसे विभिन्न स्रोत हैं जहां से सन्निर्माण में लगे प्रतिष्ठानों का विवरण प्राप्त किया जा सकता है और आंकड़ों की दुतरफा पड़ताल भी की जा सकती है, जैसे सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों द्वारा शुरू की गई/शुरू की जाने वाली परियोजनाएं (इन संगठनों द्वारा सचिव (बोर्ड) को तिमाही समेकित रिपोर्ट भेजी जानी थी), स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित भवन नक्शे (श्रम अधिकारियों और निरीक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए जाने थे, जिन्हें उपकर संग्रहकर्ता के रूप में अधिसूचित किया गया है), निजी प्रतिष्ठान जिन्होंने जिला कार्यालयों में उपकर जमा किया और स्थानीय एसएचओ द्वारा अनुरक्षित और दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध सन्निर्माण गतिविधियों का विवरण।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार ने प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए इनमें से किसी भी स्रोत का उपयोग नहीं किया। नमूना जांच किए गए दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिलों में इसकी पुष्टि की गई, जहां अप्रैल 2019 से मार्च 2023 के बीच उपकर जमा करने वाले 97 निजी प्रतिष्ठान पंजीकृत नहीं पाए गए। इसी प्रकार, दिल्ली अग्निशमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार सन्निर्माण में लगे 25 प्रतिष्ठान भी पंजीकृत नहीं पाए गए।

अपने उत्तर में, सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि एमसीडी, उनके द्वारा स्वीकृत भवन नक्शों का डेटा श्रम विभाग के संबंधित उपकर संग्रहकर्ता के साथ साझा कर रही थी। स्थानीय एसएचओ द्वारा अनुरक्षित सन्निर्माण गतिविधियों के विवरण के बारे में, यह कहा गया कि कार्यालय आदेश अनावश्यक था क्योंकि एमसीडी अनुमोदित भवन नक्शों के बारे में जानकारी उपकर संग्रहकर्ताओं को भेज रही थी और उपकर संग्रहकर्ताओं को एसएचओ से जानकारी की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जहां तक उपकर जमा करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण न करने का संबंध है, यह सूचित किया गया कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय (केंद्रीय कार्यालय)

द्वारा पंजीकृत किया जाता है, तथापि, उपकर केवल राज्य के बीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड के पास जमा किया जाता है। तथापि, उत्तर से कोई आश्वासन नहीं प्राप्त होता है कि सन्निर्माण कार्यों में लगे सभी प्रतिष्ठानों की पहचान और पंजीकरण कर लिया गया है।

2.2 प्रतिष्ठानों के पंजीकरण में कमियां

दिल्ली बीओसीडब्ल्यू (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियमावली, 2002 के अनुसार पंजीकरण अधिकारियों को फॉर्म III में एक रजिस्टर बनाना था, जिसमें पंजीकृत प्रतिष्ठानों का विवरण दिखाया जाना था। तथापि, दक्षिण जिले द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था। इस प्रकार, जिन प्रतिष्ठानों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, उन पर नज़र रखने के लिए विद्यमान प्रणाली का पालन नहीं किया जा रहा था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 7 के तहत प्रतिष्ठानों का पंजीकरण ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें सभी पंजीकरणों का विवरण होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने लेखापरीक्षा के दौरान या उत्तर के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए ऑनलाइन अभिलेख साझा नहीं किए।

प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और उनके अभिलेखों के रखरखाव की प्रक्रिया में देखी गई अन्य कमियां इस प्रकार हैं:

(i) ई-डिस्ट्रिक्ट एक वेब पोर्टल है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। प्रतिष्ठान और बीओसीडब्ल्यू इस पोर्टल के माध्यम से भी पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर पश्चिम जिले के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि नमूना जांच किए गए 24 में से 23 प्रतिष्ठानों (2019-23 के दौरान कुल 152 पंजीकृत थे) में पंजीकरण अधिकारी द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि बीओसीडब्ल्यू (आरई एंड सीएस) अधिनियम के अनुसार अनिवार्य दस्तावेज[2] अपलोड नहीं किए गए थे। जिला

[2] फॉर्म IV [नियम 26(3)] में प्रारंभ की सूचना की प्रति, कंपनी/फर्म के मामले में ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के संबंध में स्व-घोषणा/वचनपत्र, और संविदाकार द्वारा सन्निर्माण के मामले में मालिक/पीई के साथ संविदाकार समझौता, साथ ही आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बोर्ड के संकल्प का अनुमोदन।

कार्यालय ने कहा (नवंबर 2023) कि भविष्य में, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते समय अपलोड किए गए सभी अनिवार्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

अपने उत्तर (मार्च 2025) में सरकार ने इस त्रुटि के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर सर्वर और स्पेस की कमी को ज़िम्मेदार ठहराया। इसने आगे कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पर्याप्त दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए अधिक स्पेस उपलब्ध कराने का मुद्दा विभाग के आईटी सेल के साथ उठाया जा रहा था।

(ii) बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के अनुसार, नियोजक को श्रम विभाग के निरीक्षक को एक नोटिस भेजना आवश्यक था जिसमें सन्निर्माण स्थल, नियोजित किए जाने वाले संभावित कर्मकारों की संख्या तथा किए जाने वाले सन्निर्माण कार्यों का विवरण, नया कार्य शुरू करने से कम से कम तीस दिन पहले देना होता था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नियोजक को अपने प्रतिष्ठान के लिए अधिनियम के लागू होने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के अंदर अपने प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए आवेदन करना था। नियमों के अनुसार इसका पालन न करने पर प्रति मामला ₹ 2,000 का जुर्माना लगता है।

उत्तर पश्चिम जिला, 2019-23 के दौरान नियोजकों द्वारा प्रस्तुत कार्य प्रारंभ करने की सूचना से संबंधित जानकारी प्रदान करने में विफल रहा। दक्षिण जिले में, 47 में से 44 नियोजक जिनके संबंध में अधिकारी द्वारा निर्धारण किया गया था और 75 निजी अपंजीकृत प्रतिष्ठान जिनसे इन्हें उपकर प्राप्त हुआ था, ने कार्य प्रारंभ सूचना नहीं दी, परंतु जिले ने इन नियोजकों पर ₹ 2.38 लाख (प्रत्येक मामले में ₹ 2,000) का कुल जुर्माना नहीं लगाया।

दक्षिण जिले ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2023) कि भविष्य में निर्धारण के समय संबंधित प्रतिष्ठान से कार्य प्रारंभ होने का विवरण मांगा जाएगा। कार्य प्रारंभ होने से संबंधित जानकारी न देने का मुद्दा सीएजी के पिछले प्रतिवेदन में भी उठाया गया था (पैरा 3.2.9.3)।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि नियोजक द्वारा सूचना न दिए जाने की स्थिति में, निरीक्षक को सन्निर्माण के मुख्य निरीक्षक की अनुमति प्राप्त करने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (दंड लगाने के लिए अधिकार प्राप्त) के समक्ष लोक अभियोजक के माध्यम से मुकदमा दायर करना होगा, जो एक बहुत ही

धीमी प्रक्रिया है, जिसके लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है और लोक अभियोजक द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष चालान आगे बढ़ाना होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को चूक के ऐसे मामलों को आगे बढ़ाने में सक्रिय होने की आवश्यकता है।

(iii) डीबीओसीडब्ल्यू नियमावली में प्रावधान है कि पंजीकरण अधिकारी प्रतिष्ठान को पंजीकृत करेगा और आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के अंदर आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा। लेखापरीक्षा में जांचे गए 42 में से 20 (48 *प्रतिशत*) मामलों में प्रमाणपत्र जारी करने में 4 से 143 दिनों तक की देरी पाई गई। पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में देरी को सीएजी के पिछले प्रतिवेदन (पैरा 3.2.9.2) में भी चिह्नित किया गया था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि आवेदन में दस्तावेज़ों की कमी या सूचना संबंधी त्रुटि के मामले में, संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा आपत्तियां उठाई जाती हैं और कुछ मामलों में, आवेदक के पास यह लंबित रह जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण प्रमाणपत्र देने में देरी होती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने चयनित जिलों में विशिष्ट मामलों की ओर इंगित किया था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में देखे गए 96 *प्रतिशत* मामलों में, पंजीकरण प्रमाणपत्र, वास्तव में, अनिवार्य दस्तावेज़ों के बिना भी जारी किए जा रहे थे।

सिफारिश 1: सरकार को सन्निर्माण गतिविधियों में शामिल सभी प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, समयबद्ध तरीके से सभी बीओसी कर्मकारों का पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए और उन पात्र कर्मकारों का उपयुक्त अभिलेख रखना चाहिए, जिन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना है।

2.3 सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान और पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू नियमावली, 2022 के नियम 266 (1) में प्रावधान है कि 18 से 60 वर्ष की आयु के प्रत्येक भवन सन्निर्माण कर्मकार को, उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों के अधीन, अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, कर्मकारों को हर वर्ष अपने पंजीकरण का नवीकरण कराना होगा। चूंकि हितलाभ केवल उन बीओसीडब्ल्यू

को ही मिलते हैं जो पंजीकृत हैं और हर वर्ष पंजीकरण का नवीकरण कराते हैं, ऐसा न करने पर वे बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ के लिए अपात्र हो जाते हैं।

सरकार के पास दिल्ली के बीओसीडब्ल्यू की संख्या से संबंधित कोई डेटा नहीं था। सभी सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान के लिए तंत्र के अभाव के मुद्दे को मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी के पिछले प्रतिवेदन में उठाया गया था। तथापि, विभाग दिल्ली के सभी सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान करने के लिए कोई तंत्र विकसित करने में विफल रहा।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है और सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या किसी भी निश्चित समय पर तय नहीं की जा सकती क्योंकि कुछ लोग सन्निर्माण कर्मकार बने नहीं रह सकते। इसलिए, आगे यह भी कहा गया कि पंजीकरण/नवीकरण की प्रक्रिया को कर्मकार द्वारा स्व-प्रमाणन के साथ-साथ टेली-सत्यापन की शुरुआत करके सरल बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड जागरूकता शिविर भी चलाता है, बोर्ड के साथ पंजीकरण कराने के हितलाभों के बारे में कर्मकार चौकों पर पैम्फलेट का वितरण, डिस्प्ले बैनर आदि लगाकर करता है।

जागरूकता शिविर आदि शुरू करने के बारे में सरकार का तर्क भी विभाग द्वारा की गई जागरूकता गतिविधियों में कमियों के मद्देनजर मान्य नहीं है, जैसा कि इस प्रतिवेदन में आगे बताया गया है। इसके अतिरिक्त, सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान के मुद्दे पर उत्तर मौन है।

दिल्ली में सभी बीओसीडब्ल्यू की पहचान और पंजीकरण में कमियां निम्नानुसार थीं:

(i) सरकारी संगठनों/स्थानीय निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सभी सहायक अभियंताओं (एई) को पंजीकरण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था ताकि वे अपनी परियोजनाओं में काम करने वाले सन्निर्माण कर्मकारों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर सकें। तथापि, सन्निर्माण कार्यों में लगे विभिन्न विभागों के चयनित 13 प्रभागों के सहायक

अभियंताओं के माध्यम से बोर्ड में कोई भी सन्निर्माण कर्मकार पंजीकृत नहीं था। विभाग ने कहा (सितंबर 2023) कि बोर्ड द्वारा सहायक अभियंताओं को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान नहीं किए गए थे।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि सभी सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान और पंजीकरण का मुद्दा अगली बोर्ड बैठक में उठाया जाएगा, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा सिफारिश की गई है।

(ii) अधिनियम की धारा 43 श्रम विभाग के निरीक्षक को किसी भी प्रतिष्ठान के परिसर का निरीक्षण करने का अधिकार देती है जहां सन्निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे साइट पर कार्यरत बीओसीडब्ल्यू की पहचान करने में सुविधा होगी। यह देखा गया कि समीक्षाधीन वर्षों के दौरान चयनित जिलों में ऐसा कोई निरीक्षण नहीं किया गया था, इसके बावजूद कि पिछले सीएजी प्रतिवेदन (पैरा 3.9.2.5) में इसे इंगित किया गया था। इसके अतिरिक्त, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में, सन्निर्माण कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण आदि सुनिश्चित करने के लिए सचिव (बोर्ड) द्वारा पूरी दिल्ली में सन्निर्माण स्थलों के निरीक्षण के लिए एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया था (अक्टूबर 2021)। बोर्ड ने विशेष निरीक्षण दल द्वारा किए गए निरीक्षणों की कुल संख्या का विवरण भी नहीं उपलब्ध कराया, तथापि उपलब्ध कराई गई पांच[3] निरीक्षण फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि संबंधित नियोजकों[4] को नोटिस जारी करने के अलावा निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, विभाग ने कहा कि लेखापरीक्षा संवीक्षा की अवधि के दौरान उसके द्वारा कोई केंद्रीय निरीक्षण नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि श्रम विभाग ने निरीक्षण के लिए किसी प्रतिष्ठान का यादृच्छिक चयन करने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अधीन केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली (सीआईएस) शुरू की है। इसके अतिरिक्त,

---

[3] दो निरीक्षण फाइलें पश्चिमी दिल्ली से संबंधित थीं तथा एक-एक फाइल उत्तर, उत्तर-पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जिलों से संबंधित थी।

[4] मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, मेसर्स नॉर्थ दिल्ली मेट्रो मॉल प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स सैम (इंडिया), गुलेरमार्क जेवी, मेसर्स जेएमसी प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 के तहत निरीक्षण को भी सीआईएस के अधीन लाया जा रहा है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(iii) नवंबर 2018 से कर्मकार ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण/पंजीकरण का नवीकरण कर सकते थे। तथापि, नवंबर 2022 तक कुल 5.39 लाख कर्मकारों (30 सितंबर 2018 तक) में से केवल 1.39 लाख का ही डेटा वेब पोर्टल पर स्थानांतरित किया गया है। पोर्टल पर पूर्ण पंजीकरण डेटा के अभाव में, अधिकांश कर्मकार ऑनलाइन नवीकरण की सुविधा का लाभ नहीं उठा सके और इस प्रकार बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के हितलाभ से वंचित हो गए। इस प्रकार, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी कि विभाग तथा बोर्ड उन सन्निर्माण कर्मकारों की पहचान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं जिन्हें योजनाओं का हितलाभ दिया जाना है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें वास्तव में ऐसे हितलाभों की आवश्यकता है। मार्च 2025 तक उत्तर प्रतीक्षित है।

सिफारिश 2: बोर्ड को संबंधित सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है, ताकि रा.रा.क्षे. दिल्ली में बीओसी कर्मकारों की आसानी से पहचान और उनका पंजीकरण किया जा सके, ताकि उन सभी को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया जा सके।

2.4 सन्निर्माण कर्मकारों का लाभार्थी सर्वेक्षण

लेखापरीक्षा ने बोर्ड के बारे में बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता की मात्रा और इसके साथ पंजीकरण के हितलाभों का आकलन करने के लिए दो चयनित जिलों में 300 लाभार्थियों का लाभार्थी सर्वेक्षण किया। **चार्ट 2.2** लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्षों को दर्शाता है।

चार्ट 2.2: लाभार्थी सर्वेक्षण के निष्कर्ष

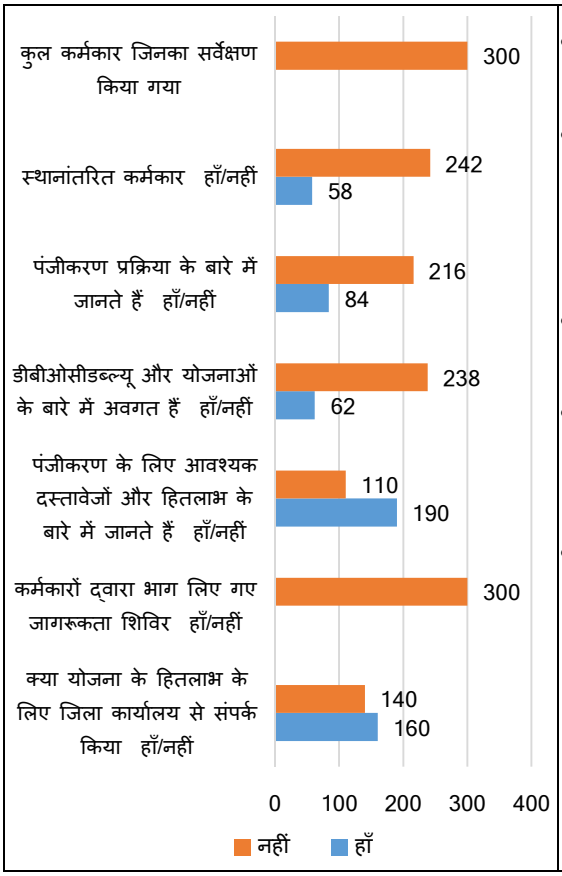

- कुल 81 *प्रतिशत* कर्मकार दिल्ली के थे, जबकि 19 *प्रतिशत* प्रवासी थे।
- 28 *प्रतिशत* कर्मकार बोर्ड और इसके सदस्य बनने की प्रक्रिया से अवगत थे, जबकि 72 *प्रतिशत ने* जागरूकता की कमी, लंबी प्रक्रिया और अनुमोदन में देरी का हवाला दिया।
- केवल 21 *प्रतिशत* कर्मकार ही बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानते थे।
- केवल 37 *प्रतिशत* कर्मकारों को पंजीकरण और हितलाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पता था।
- किसी भी लाभार्थी (सर्वेक्षण किए गए 300 में से) ने जागरूकता शिविर में भाग नहीं लिया।

47 *प्रतिशत* कर्मकारों ने बताया कि योजना हितलाभ की आवश्यकता होने पर उन्होंने जिला श्रम कार्यालय से संपर्क किया, जबकि 53 *प्रतिशत* ने बताया कि उन्होंने संघीय श्रम कार्यालयों से संपर्क किया।

उपर्युक्त तथ्य दर्शाते हैं कि बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे पंजीकरण एवं कल्याणकारी योजनाओं के हितलाभों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयास अपर्याप्त थे, जिन्हें सूचना एवं मीडिया के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करके बढ़ाने की आवश्यकता है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड ने दिल्ली के सन्निर्माण कर्मकारों के हितलाभ के लिए dbocwwb.delhi.gov.in नाम से एक वेब पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल पर सन्निर्माण कर्मकारों को उपलब्ध विभिन्न हितलाभों और पंजीकरण, नवीकरण और प्रवास की प्रक्रिया को वीडियो फुटेज के रूप में शामिल किया गया है ताकि बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके। डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड बीओसी कर्मकारों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सन्निर्माण स्थलों, कर्मकार चौकों पर विभिन्न शिविरों का आयोजन भी करता है। तथापि, तथ्य यह है कि सर्वेक्षण के परिणामों से सन्निर्माण कर्मकारों के बीच बोर्ड और इसकी कल्याणकारी गतिविधियों के बारे में जागरूकता की कमी का संकेत मिला।

2.5 सन्निर्माण कर्मकारों के पंजीकरण और नवीकरण के आंकड़ों में विसंगति

बोर्ड द्वारा पंजीकृत/नवीकृत पंजीकरणों की वर्ष-वार संख्या का विवरण **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3 : लाभार्थियों का पंजीकरण और नवीकरण

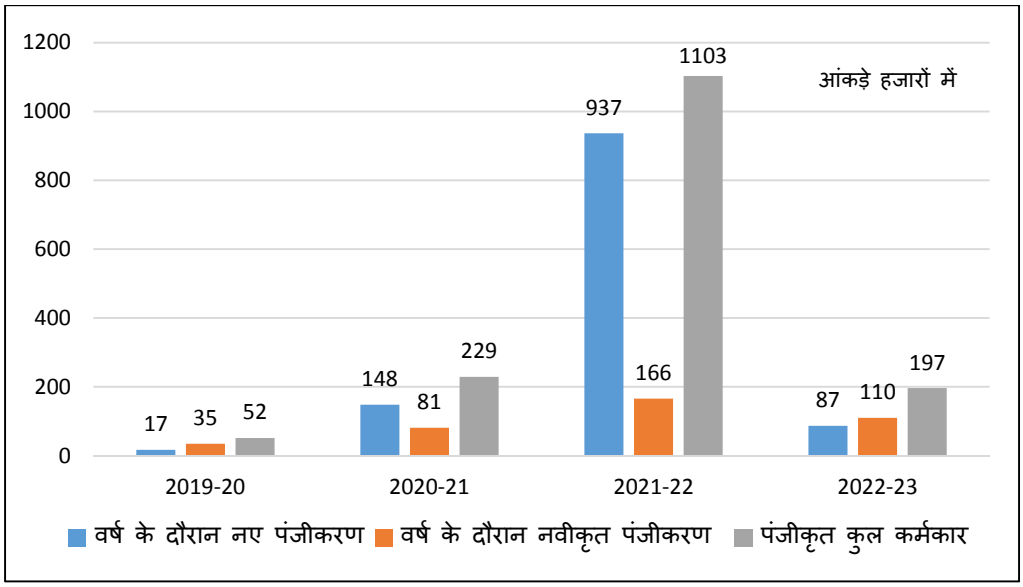

स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

उपर्युक्त चार्ट 2020-21 और 2022-23 के बीच बोर्ड द्वारा पंजीकृत सन्निर्माण कर्मकारों की संख्या में भिन्नता और साथ ही अनुपातहीन पंजीकरण और नवीकरण को दर्शाता है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि पंजीकृत कर्मकारों की संख्या निश्चित नहीं है क्योंकि पंजीकरण/नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है। यह भी कहा गया कि पंजीकरण/नवीकरण आवेदन आधारित है और बोर्ड विलंब शुल्क वसूल करने के बाद समाप्त अवधि के लिए भी पंजीकरण का नवीकरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के कर्मकार सीधे बोर्ड के वेब पोर्टल पर लॉग इन करके भी अपना पंजीकरण नवीकृत कर सकते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इसमें 2021-22 में पंजीकरण में उल्लेखनीय उछाल के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर बोर्ड के साथ पंजीकृत और नवीकृत बीओसीडब्ल्यू की संख्या संबंधी आंकड़ों और बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी में अंतर पाया। विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: बीओसीडब्ल्यू द्वारा पंजीकरण और पंजीकरण के नवीकरण के आंकड़ों में अंतर

नया पंजीकरण				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बोर्ड के अनुसार आंकड़े	16,858	1,47,998	9,37,285	86,999
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार आंकड़े	42,728	1,89,541	9,95,556	93,848
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े	42,672	1,47,803	9,13,537	तैयार नहीं किया गया
नवीकरण				
बोर्ड के अनुसार आंकड़े	34,540	81,024	1,66,267	1,09,591
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के अनुसार आंकड़े	25,343	41,487	58,345	1,04,078
वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े	9,171	80,939	1,64,814	तैयार नहीं किया गया

इस प्रकार, बीओसीडब्ल्यू के कल्याण से संबंधित प्राधिकारियों के पास उपलब्ध लाभार्थी आंकड़ों की सत्यता संदिग्ध/अविश्वसनीय है।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने बोर्ड से लाभार्थियों का डंप डेटा प्राप्त किया (जुलाई 2023)। लाभार्थियों के डेटाबेस के चित्र विश्लेषण से निम्नलिखित अतिरिक्त विसंगतियां सामने आईं:

(क) इस तथ्य के बावजूद कि ऑनलाइन पंजीकरण और नवीकरण को आधार सत्यापित बताया गया था, बोर्ड अपने साथ पंजीकृत बताए गए 6.96 लाख पंजीकृत बीओसी कर्मकारों में से केवल 1.98 लाख का ही पूर्ण डाटाबेस (इमेज लिंक और चित्रों सहित) उपलब्ध करा सका।

(ख) 1.98 लाख लाभार्थियों में से, जिनके चित्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे, 1.19 लाख लाभार्थियों को 2.38 लाख चित्रों के साथ जोड़ा गया था, अर्थात प्रत्येक लाभार्थी के लिए एक से अधिक चित्र।

(ग) डेटाबेस में 45 चित्र 97 कर्मकारों से जुड़े थे, अर्थात एक चित्र एक से अधिक लाभार्थियों से जुड़ा था।

(घ) 1.98 लाख चित्रों में से 29,453 (14.8 *प्रतिशत*) में या तो अनेक (कई) चेहरे उपलब्ध थे, या कोई चेहरा उपलब्ध नहीं था। चूंकि एक मज़बूत कंप्यूटर ऐल्गोरिदम को प्रत्येक चित्र में ठीक एक चेहरे की आवश्यकता होगी, यह पंजीकरण के दौरान ऐसे चित्रों का पता लगाने में आईटी प्रणाली की विफलता को दर्शाता है।

(ड.) लेखापरीक्षा ने 20 *प्रतिशत* अवसीमा (चेहरे के सादृश्य की संभावना 80-100 *प्रतिशत* के बीच) और साथ ही 30 *प्रतिशत* अवसीमा का उपयोग करके इमेज युनिवर्स (1.69 लाख चित्र/चेहरे) में चेहरों का मिलान किया। यह पाया गया कि 0.20 अवसीमा पर 3,116 चित्रों में 1,440 चेहरे दिखाई दिए और 0.30 *प्रतिशत* अवसीमा पर 5,595 चित्रों में 2,495 चेहरे दिखाई दिए, जो यह दर्शाता है कि एक ही चित्र का कई बार उपयोग किया गया था।

डुप्लिकेट चित्र, बिना चेहरे वाले चित्र और एक ही चेहरे के एक से अधिक पंजीकरण की उपलब्धता लाभार्थियों के पंजीकरण में कई खामियों की ओर इंगित करती है और कमज़ोर आईटी प्रोटोकॉल को भी दर्शाती है।

सरकार ने कहा (मार्च 2025) कि पूरा डाटाबेस उपलब्ध था और यदि आवश्यक हो तो इसे सीएजी लेखापरीक्षा टीम को प्रदान किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डेटा डाउनलोड करने और लिंक बनाने के मुद्दे से संबंधित विसंगतियों को अब ठीक कर दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा कि सुधारात्मक उपाय के रूप में, बोर्ड के नए पोर्टल में स्थानांतरण और नए पंजीकरण के समय प्रत्येक पंजीकृत कर्मकार का वीडियो अनिवार्य किया जा रहा था। तथ्य यह है कि विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए पूर्ण और विश्वसनीय डेटाबेस प्रदान करने में विफल रहा।

सिफारिश 3: बोर्ड को अपनी पंजीकरण प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए अपने एप्लिकेशन की सुरक्षा संपरीक्षा कराने की आवश्यकता है तथा अपने विभिन्न डाटाबेस के प्रमाणीकरण और समन्वय में अधिक सक्रियता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि यह उसके मूल कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है।